52

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1578–चार/1999 – विरूद्ध आदेश दिनांक 07–01–1999 – पारित व्दारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 35 अ–6/1997–98 अपील

1– हरनाथ 2– रामेश्वर 3– जगतराज
4– महेश चारों पुत्रगण घनश्याम राजपूत
निवासी ग्राम दिदोरा हाल ग्राम चितहरी
तहसील लौड़ी जिला छतरपुर
5– देवकीनंदन पुत्र कामताप्रसाद बानी
ग्राम बारीगढ़ तहसील गौरिहार मुख्त्यारआम
धान्धूराम पुत्र अनंतराम ग्राम चितहरी
तहसील लौड़ी जिला छतरपुर ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– अरबिन्दकुमार पुत्र मलखान नावालिक
2– महेन्द्र पुत्र मलखान नावालिक
सरपरस्त पिता मलखान ग्राम चिहतरी
तहसील लौड़ी जिला छतरपुर --- अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री कुँअर सिंह कुशवाह)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 4 – 1 –2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 35 अ–6/97–98 अपील में पारित आदेश दिनांक 07–01–1999 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार लौड़ी के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 के अंतर्गत आवेदन पंत्र प्रस्तुत कर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई ग्राम चितहरी की कुल किता 14 कुल रकबा 5.814 हैक्टर भूमि में से हिस्सा 1/9 रकबा 0.646 तथा हिस्सा 1/9 रकबा 0.646 हैक्टी भूमि पर नामांत्रण करने की माग की गई, जिस पर से तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 98 अ-6/ 1995-96 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 26-8-1996 पारित करके नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी लौड़ी के समक्ष अपील क्रमांक 258/1 995-96 प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30-9-97 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 35 अ-6/97-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 07-01-1999 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि जब वाद विचारित भूमि के नामान्तरण का आवेदन दिया गया, तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 98 अ - 6/ 1995-96 दर्ज करने के उपरांत

विधिवत् इस्तहार का प्रकाश नहीं कराया है जो नामान्तरण नियमों में किया जाना अनिवार्य है। वाद विचारित भूमि सहखाते की है जिसके अॅश भाग का क्रय-विक्रय हुआ है एंव तहसीलदार ने अन्य सहभागीदारों को सूचना नहीं दी है तथा अन्य सहखातेदारों को सुने बिना नामान्तरण किया है और इन महत्वपूर्ण कमियों पर अनुविभागीय अधिकारी ने ध्यान न देते हुये अपील आदेश दिनांक 30-9-97 से अपील निरस्त करने की त्रृटि की गई है, जिसके कारण आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण क्रमांक 35 अ-6/97-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 07-01-1999 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है। आयुक्त के आदेश दिनांक 7-1-99 के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय में पक्षकारों की पुनः सुनवाई की जाना है जिसके कारण उभय पक्ष को पक्ष प्रस्तुत का अवसर प्राप्त है अतः विचाराधीन निगरानी में आवेदकगण को किसी प्रकार का अनुतोष दिये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार की जाती है एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 35 अ-6/97-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 07-01-1999 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर